

अपराह्न 12.14 बजे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरिंग कर्मचारियों के वेतनमान कम किये जाने के बारे में याचिका

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (डेंकानाल): मैं श्री पी. एन. कोहली, प्रेज़ीडेंट, रेडियो और टेलीविजन इंजीनियरिंग कार्यकारी एसोसिएशन, पोस्ट बाक्स 422 नई दिल्ली और अन्यो द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरिंग कर्मचारियों के वेतनमान कम कर दिये जाने के बारे में हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.14^{1/2} बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

माले में हुआ नौवां सार्क शिखर सम्मेलन

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): मैं 12 से 14 मई, 1997 को माले में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के नौवें शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के संबंध में सदन के समक्ष अपनी ओर से वक्तव्य देते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। हाल के वर्षों में सार्क के सात सदस्य देशों में सहयोग बढ़ा है और इस सम्मेलन ने संगठन की ताकत को पुनः सिद्ध कर दिया है। माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मैं इस सम्मेलन के दौरान हुई मुख्य बातों का सारांश प्रस्तुत करना चाहूँगा।

सार्क के पिछले एक निर्णय के अनुसार अधिमानतः वर्ष 2000 तक और हर हालत में 2005 ई. तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के लिए कार्य किया जाना था। नौवें सम्मेलन में अब इस बात पर सहमति हुई कि साफ्टा को वर्ष 2001 तक कार्यान्वित कर लिया जाए, इस प्रकार यह अंतिम लक्ष्य चार वर्ष पहले पूरा हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सदस्य देशों के बीच तेजी से हो रहे आर्थिक कार्यकलाप को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ते हुए भावनात्मक लगाव का द्योतक है।

सार्क के लिए दूर दृष्टि विकसित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों के एक दल के गठन के संबंध में लिया गया निर्णय एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था। राज्य प्रमुखों के बीच यह आम राय थी कि सार्क अब प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में अपने कार्यकलाप सुदृढ़ करने की स्थिति में आ गया है जिसके लिए एक कार्यसूची तैयार की जानी चाहिए।

बैठक में दक्षिण एशिया में उप क्षेत्रीय सहयोग का प्रश्न उभर कर आया। इस शिखर सम्मेलन से पूर्व उप क्षेत्रीय सहयोग और सार्क के क्षेत्रीय ढांचे के बीच उपयुक्त संबंधों के बारे में व्यक्त किए गए विचारों में कुछ भिन्नताएं थीं। जबकि शुरू से ही हमारी वरीयता यह थी कि उप क्षेत्रीय सहयोग सार्क के भीतर, विशेषतौर पर इसके चार्टर के अनुच्छेद सात के उपबंधों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। कुछ अन्य देशों ने शुरू में यह महसूस किया कि उप क्षेत्रीय प्रबंधों को सार्क के बाहर रखना उपयुक्त होगा। प्रसन्नता की बात यह है कि यह मसला सभी पक्षों की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार हल कर लिया गया। यह सहमति हुई कि उप क्षेत्रीय सहयोग की विशिष्ट परियोजनाएं सचिवालय द्वारा विकसित और संसाधित की जाएं और इनके कार्यान्वयन से पूर्व सार्क की स्थापित प्रक्रिया द्वारा अन्तर सरकारी तौर पर उन्हें समर्थन दिया जाए। इससे सभी सदस्यों के लिए नहीं बल्कि कुछ सदस्यों की उपयोगी परियोजनाओं, जिनमें नेपाल के प्रस्ताव पर आभारित बंगलादेश, भूटान, भारत और नेपाल सहित चतुरपक्षीय प्रयास शामिल हैं, इस तरह से विकसित की जानी है जिससे सार्क की गतिविधियों में और अधिक लोच आएगा तथा ये गतिविधियाँ संवर्धित होंगी।

शिखर सम्मेलन में समाज में महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित समस्याओं, विशेष तौर पर विभिन्न कठिन परिस्थितियों में बालिकाओं की समस्याओं पर अधिक जोर दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि 2000-2010 के दशक को बच्चों के अधिकारों के सार्क दशक के रूप में मनाया जायेगा। सार्क महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने पर विशेष ध्यान देगा।

सार्क कार्य कलापों को दूरवर्ती शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल करके बढ़ाया जाएगा और खुले विश्वविद्यालयों और दूरवर्ती शिक्षण संस्थानों को खुले विश्वविद्यालयों के संकाय के निर्माण की सम्भावनाओं के साथ क्षेत्र के बाहर प्रसार किया जाएगा।

पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चर्चा की गई थी तथा उन पहलुओं को शामिल किया गया जिसमें वायु और जल प्रदूषण के सामान्य न्यूनतम मानक विकसित करने, सीमा पार जैव विविधता संरक्षण और वनस्पति एवं जीव जन्तुओं के अवैध दुर्व्यापार को रोकने संबंधी सार्क अभिसमय तैयार करना जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। इसके बाद सहयोग के इस क्षेत्र की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए सार्क पर्यावरण मंत्री साल में एक बार बैठक किया करेंगे।

सार्क अन्तर-यात्रा के लिए अपेक्षित वीसा की शर्तों में प्रगामी छूट की प्रक्रिया जारी रही तथा कुछ नई श्रेणियों में अब से छूट दी जाएगी। नई श्रेणियों में सार्क देशों के सभी मंत्रिमण्डलीय सदस्य, गैर सरकारी संगठनों के शीर्ष निकायों के प्रमुख तथा बहुत से अन्य प्रमुखों को शामिल किया जाएगा।

